न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– नागरमल बनाम भागुराम उर्फ भागीरथमल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 83 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
04.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस टी0आई0 सुनी गई। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.25 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1179/74 रकबा 0.2450 है0 ख0नं0 1181/73 रकबा 0.1700 है0 ख0नं0 1183/72 रकबा 0.1416 है0 भूमि के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत अं0 धारा 183, 188 रा0का0अधिनियम पेश किया है, जो वर्तमान में साक्ष्य वादीगण में विचाराधीन चल रहा है। साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1179/74 रकबा 0.2450 है0 ख0नं0 1181/73 रकबा 0.1700 है0 ख0नं0 1183/72 रकबा 0.1416 है0 भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	